

(असाधारण भाग I—खंड -1)

अधिसूचना

सरकारी प्रतिभूतियों (जीएस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2021:भारत सरकार एतद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है:

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ में)
भा0स0 का अस्थायी दर वाला बांड 2028	04 अक्टूबर, 2021	07-00-00	04 अक्टूबर, 2028	मूल्य	समान	4,000
6.10% सरकारी प्रतिभूति, 2031	12 जुलाई, 2021	10-00-00	12 जुलाई, 2031	मूल्य	समान	13,000
6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061	22 नवम्बर, 2021	40-00-24	16 दिसम्बर, 2061	मूल्य	विविध	7,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से एक या एक से अधिक के लिए 2,000 करोड़ रुपये प्रत्येक की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से बेची जाएंगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियां पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 03 दिसम्बर, 2021 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 03 दिसम्बर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होंगी।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 03 दिसम्बर, 2021 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 06 दिसम्बर, 2021 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
भा0स0 का अस्थायी दर वाला बांड 2028	परिवर्तनीय#	नई प्रतिभूति	05 दिसम्बर, 2021	04 अप्रैल और 04 अक्टूबर
6.10% सरकारी प्रतिभूति, 2031	6.10	नई प्रतिभूति	05 दिसम्बर, 2021	12 जनवरी और 12 जुलाई
6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061	6.95	नई प्रतिभूति	05 दिसम्बर, 2021	16 दिसम्बर और 16 जून

#: भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड 2028.

(i) परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। (ii) अस्थायी दर वाला बांड का कूपन दर जो मूल दर होगा तथा यह 182 दिवसीय राजकोशिय हुंडीयों की पिछली तीन नीलामी (दर निर्धारित करने के दिन से) के भारत औसत आय (डब्ल्यू ए वाई) के औसत तथा नीलामी तंत्र द्वारा 64 आधार बिंदुओं के नियत प्रसार के समतुल्य होगा। यह प्रसार बांड के पूरे अवधि के दौरान नियत रहेगा। अंतर्निहित आय की गणना वर्ष में 365 दिनों को ध्यान में रखकर की जाएगी। (iii) बांड की समायावधि के दौरान भारत सरकार की 182 दिवस राजकोशिय हुंडीयों की नीलामी के बंद कर दिये जाने की स्थिति में, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले के तीन गैर-रिपोर्टिंग शुक्रवार को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिभूति (यों) के लिए प्रचलित परिपक्वता दर आय (वाईटीएम) की औसत होगी। यदि किसी शुक्रवार कोई विशेष छुट्टी/छुट्टियाँ हो, तो परिपक्वता पर आय की दर वही होंगी जो पिछले कार्यदिवस पर थी। (iv) कूपन अवधि 04 अक्टूबर, 2021 से 03 अप्रैल, 2022 के लिए आधार दर 3.40 प्रतिशत प्रति वर्ष है। तदनुसार, इस अवधि के लिए अस्थायी दर वाला बांड 2028 पर ब्याज दर 4.04 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। अनुवर्ती वर्षों के दौरान बांडों पर अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज दर, संबन्धित अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पूर्व, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

आशीष वच्छानी.
(आशीष वच्छानी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार